महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

MAHATMA GANDHI ANTARRASHTRIYA HINDI VISHWAVIDYALAYA

शिक्षकेतर कर्मचारी संगठन

NON-TEACHING EMPLOYEE UNION

डॉ. राजेश्वर सिंह
DR. RAJESHWAR SINGH
चुनाव अधिकारी
ELECTION OFFICER

मोबाइल/Mobile : + 91-9823499988

दिनांक: 25.02.2013

सूचना

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी संगठन के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि म.गा.अ.हि.वि. शिक्षकेत्तर कर्मचारी संगठन के चुनाव की तिथि दिनांक 17.03.13 (रविवार) को निर्धारित की गई है, जिसकी प्रक्रिया 04.03.13 (सोमवार) से प्रारंभ होगी।

चुनाव अधिसूचना तथा चुनाव नियमावली की प्रति सूचनार्थ संलग्न की जा रही है।

(डॉ. राजेश्वर सिंह)
चुनाव अधिकारी

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः-
1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय।
3. कुलसचिव कार्यालय।
4. वित्त विभाग।
5. सुरक्षा अधिकारी
6. समस्त विभाग
7. समस्त सूचना पट्ट
8. वेबसाइट

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
MAHATMA GANDHI ANTARRASHTRIYA HINDI VISHWAVIDYALAYA
शिक्षकेतर कर्मचारी संगठन
NON-TEACHING EMPLOYEE UNION

डॉ. राजेश्वर सिंह
DR. RAJESHWAR SINGH
चुनाव अधिकारी
ELECTION OFFICER

मोबाइल/Mobile : + 91-9823499988

चुनाव अधिसूचना

दिनांक: 25.02.2013

क्र. सं.	चुनाव प्रक्रिया विवरण	तिथि
1.	नामांकन तिथि	04.03.13 (सोमवार) से 08.03.13 (शुक्रवार) सायं 04.00 बजे तक
2.	नाम वापसी की तिथि	11.03.13 (सोमवार), समय: प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक
3.	उम्मीदवारों की सूची जारी करने की तिथि	11.03.13 (सोमवार) सायं 06.00 बजे
4.	चुनाव प्रचार कार्य	12.03.13 (मंगलवार) से
5.	उम्मीदवारों/प्रत्याशियों की मतदाताओं के साथ संयुक्त बैठक की तिथि, समय व स्थान	15.03.13 (शुक्रवार) अपराह्न 04.00 बजे स्थान: गांधी हिल्स
6.	चुनाव प्रचार बंद होने की तिथि एवं समय	15.03.13 (शुक्रवार) सायं 05.00 बजे तक
7.	चुनाव तिथि एवं समय	17.03.13 (रविवार) प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक
8.	मतगणना की तिथि एवं समय	17.03.13 (रविवार) अपराह्न 03.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक
9.	चुनाव परिणाम घोषणा	17.03.13 (रविवार) सायं 06.00 बजे तक

चुनाव आचार संहिता

- जाति, धर्म, क्षेत्रवाद एवं पद के आधार पर वोट न मांगे जाएँ।
- वाद-विवाद या झगड़े की परिस्थिति उत्पन्न करना, असंसदीय शब्दों का उपयोग करना तथा असंसदीय व्यवहार करना घोर अनुशासनहीनता मानी जाएगी।
- पोस्टर/पंपलेट विश्वविद्यालय की दीवारों पर लगाना/लिखना तथा अभद्र प्रचार करना वर्जित होगा।
- चुनाव नियमावली का पालन करना आवश्यक होगा।
- चुनाव के दिन कोई प्रचार नहीं करेगा। अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो चुनाव समिति छानबीन करने के उपरांत संबंधित प्रत्याशी को चुनाव से वंचित कर सकती है।
- किसी प्रकार का लोभ लालच देकर वोट न मांगे। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में किसी प्रकार की नारेबाजी न करें।
- विरोधी प्रत्याशियों के प्रति दुष्प्रचार न करें।
- कार्यालयीय समय में कार्यालय में चुनाव प्रचार का कार्य इस प्रकार न करें, जिससे कार्यालयीय कार्य बाधित हो।

चुनाव हेतु प्रस्तावित पदों का नाम

क्र.सं.	पद का नाम	संख्या	क्र.सं.	पद का नाम	संख्या
1.	अध्यक्ष	01	**4.**	संयुक्त सचिव	01
2.	उपाध्यक्ष	01	**5.**	कोषाध्यक्ष	01
3.	महासचिव	01	**6.**	कार्यकारणी सदस्य	06
	कुल				11

चुनाव कार्यालय :- विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा

चुनाव पर्यवेक्षक : यथासमय तय किए जाएंगे।

25/02/13
(डॉ. राजेश्वर सिंह)
चुनाव अधिकारी

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

MAHATMA GANDHI ANTARRASHTRIYA HINDI VISHWAVIDYALAYA

शिक्षकेतर कर्मचारी संगठन

NON-TEACHING EMPLOYEE UNION

चुनाव नियमावली

1. एक कर्मी एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है।
2. पद के नामांकन करते समय एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक का होना अनिवार्य है।
3. वर्धा से बाहर केंद्र पर कार्य करने वाले एवं अवकाश पर रहने वाले कर्मचारी फैक्स द्वारा अपना मत दे सकते हैं, जिसमें कर्मचारी का हस्ताक्षर अति आवश्यक है।
4. 'अध्यक्ष', 'उपाध्यक्ष', 'महासचिव', 'संयुक्त सचिव' एवं 'कोषाध्यक्ष' इन पदों के लिए बैलेट पेपर पर एक ही प्रत्याशी के सामने मुहर लगाना है। इन पदों के लिए एक से अधिक प्रत्याशी के आगे मुहर लगाने पर मत निरस्त माना जाएगा।
5. 'कार्यकारिणी सदस्यों' के लिए बैलेट पेपर पर छह प्रत्याशियों के आगे मुहर लगाना अनिवार्य होगा। छह से ज्यादा मुहर लगाने पर वह मत निरस्त माना जाएगा।
6. चुनाव में खड़े होने वाले 'प्रत्याशी' यदि चुनाव अवधि संपन्न होने तथा चुनाव तक किसी तरह का विवाद, मारपीट, आपसी द्वेष, जातिगत, शरीरिक अथवा निजी जिंदगी के बारे में टिप्पणी अथवा अभद्र शब्दों का प्रयोग, असंसदीय आचरण तथा गलत व्यवहार करते हुए पाए जाते हैं तो उस कर्मचारी की उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार चुनाव समिति के पास सुरक्षित होगा।
7. कोई भी 'मतदाता' अगर चुनाव अवधि तथा चुनाव संपन्न होने तक कोई विवाद, मारपीट, अभद्र शब्दों का प्रयोग, असंसदीय आचरण तथा गलत व्यवहार करता हुआ पाया जाता है तो उसका मताधिकार निरस्त करने का अधिकार चुनाव समिति के पास सुरक्षित होगा।
8. पदों के लिए निम्नानुसार उम्मीदवारी शुल्क राशि नामांकन करते समय जमा करना अनिवार्य है, जो निम्नांकित है:

क)	अध्यक्ष	-	₹ 500/-	(पाँच सौ मात्र)
ख)	उपाध्यक्ष	-	₹ 500/	(पाँच सौ मात्र)
ग)	महासचिव	-	₹ 500/	(पाँच सौ मात्र)
घ)	संयुक्त सचिव	-	₹ 500/	(पाँच सौ मात्र)
ङ)	कोषाध्यक्ष	-	₹ 500/	(पाँच सौ मात्र)
च)	कार्यकारिणी सदस्य	-	₹ 200/	(दो सौ मात्र)

9. उम्मीदवारी शुल्क – केवल नाम वापसी पर ही, 75 प्रतिशत राशि वापस की जाएगी।
10. आचार संहिता का उल्लंघन करने पर नामांकन रद्द करने का अधिकार चुनाव समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
11. उम्मीदवार एवं मतदाता को महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संगठन का सदस्य रहना अनिवार्य है, उसके लिए निर्धारित सदस्यता फॉर्म सदस्यता शुल्क के साथ चुनाव पूर्व भरा जाना आवश्यक है।

12. प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन करने की तिथि से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक विश्वविद्यालय में रहना अनिवार्य होगा। इस दौरान अगर कोई प्रत्याशी चुनाव अधिकारी को किसी प्रकार की लिखित सूचना दिए बगैर जाता है तो उसे ₹ 1000/- (एक हजार रूपए) आर्थिक दण्ड के रूप में चुनाव समिति के पास जमा करना होगा।

13. प्रत्याशी को अगर कोई अपरिहार्य कार्य होता है तो चुनाव समिति को सूचना देकर पूरी चुनाव प्रक्रिया में प्रत्याशी चार दिनों से अधिक विश्वविद्यालय को छोड़कर नहीं जा सकता है। किन्हीं अपरिहार्य कारणवश चार से अधिक दिनों तक बाहर रहने पर चुनाव समिति प्रत्याशी की समस्या पर विचारकर प्रत्याशी की उम्मीदवारी के संबंध में उचित निर्णय लेगी।

14. प्रत्येक दिन रात्रि 11.00 बजे से सुबह 05.00 बजे तक चुनाव प्रचार बंद रहेगा।

15. चुनाव प्रचार, चुनाव की निर्धारित तिथि से एक दिन पहले बंद हो जाएगा। चुनाव प्रचार बंद होने के बाद अगर कोई प्रत्याशी या मतदाता प्रचार करता हुआ पाया जाता है या उसके खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसे अनुशासनहीनता मानते हुए प्रत्याशी या मतदाता के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रत्याशी तथा मतदाता का मताधिकार तथा उम्मीदवारी दोनों रद्द की जा सकती है।

16. मतदाता सूची विश्वविद्यालय प्रशासन से प्राप्त सूची और शिक्षकेतर कर्मचारी संगठन के अधिनियम के अनुसार जारी की जाएगी।

17. अगर एक पद पर दो प्रत्याशियों को बराबर मत प्राप्त होता है तो दोनों प्रत्याशियों को बुलाकर सहमति प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी अन्यथा उक्त पद के लिए उन्हीं प्रत्याशियों के बीच ईश्वर-चिट्ठी (टॉस) का प्रयोग किया जाएगा।

18. ऐसे उम्मीदवार जो किसी कारणवश नामांकन तिथि के दौरान नहीं आ सकते वे अपना नामांकन निर्धारित नामांकन-प्रपत्र में फैक्स द्वारा चुनाव समिति को भेज सकते हैं। हस्ताक्षररहित नामांकन-प्रपत्र मान्य नहीं होगा।

19. चुनाव में नामांकन के दौरान प्रत्याशियों/उम्मीदवारों को घोषणापत्र (MANIFESTO) चुनाव समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जो अंतिम माना जाएगा।

20. चुनाव प्रचार के दौरान समस्त उम्मीदवारों की दिनांक 19.02.2013 (मंगलवार) को अपराह्न 04.00 बजे गांधी हिल्स में एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सभी उम्मीदवार अपने-अपने विचार प्रस्तुत कर सकेंगे तथा बैठक में उपस्थित मतदाता अपने-अपने प्रश्नों/जिज्ञासाओं को सार्वजनिक अथवा गुप्त पद्धति में, लिखित अथवा मौखिक रूप में पूछ सकेंगे। किसी प्रश्न का जवाब देना/न देना उम्मीदवार पर निर्भर होगा।

21. चुनाव नियमावली में संशोधन अथवा परिवर्द्धन करने के अधिकार चुनाव समिति के पास सुरक्षित रहेंगे।

22. चुनाव की तिथि में परिवर्तन अथवा विशेष स्थिति में चुनाव को रद्द करने/स्थगित करने का अधिकार चुनाव समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

23. जनवरी, 2013 तक जो सदस्य सदस्यता शुल्क व मासिक शुल्क जमा नहीं करते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार और चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं होगा।

25/02/13

(डॉ. राजेश्वर सिंह)
चुनाव अधिकारी